बिहार विधान-सभा-वादवृत्त ।

तिथि २७ अप्रैल, १९५३ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २७ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions and Answers.

मोटरगाड़ियों की कमी से जनता को कष्ट ।

२६३। श्री जानकी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, यातायात विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि संथाल परगना जिले में देवघर से मधुपुर भाया सरावां सारठ तक दो लारियां एक गुप्ता ट्रांसपोर्ट और दूसरी सूरय ट्रान्सपोर्ट चलती हैं ;

(ख) क्या यह बात सही है कि सूरय ट्रांसपोर्ट कभी भी नहीं चलाई जाती है जिससे लोगों को आने-जाने में बड़ी तकलीफें होती हैं ;

(ग) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाड़ियां दो वर्षाकाल में चलाना बन्द कर दी जाती हैं, चूंकि रास्ते में चार बड़ी-बड़ी नदियां और तीन-चार छोटी नदियां मिलती हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार सूरय ट्रांसपोर्ट की जगह पर कोई दूसरी गाड़ियां एवं वर्षाकाल में देवघर से सारठ तक भाया जामामोर-पालोजोरी चलाने का आदेश देगी, ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके ?

श्री देवशरण सिंह—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) सूरय ट्रान्सपोर्ट के बहुत दिन से नहीं चलने की शिकायत सरकार को मिली है । इस्ट बिहार रिजनल ट्रान्सपोर्ट बोर्ड की ता० २ मार्च, १९५३ की मिटिंग में परमीट-होल्डर को हिदायत कर दी गई है । फिर भी सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी ।

(ग) यह रास्ता केवल शुष्क काल में ही खुला रहता है । और वर्षाकाल में बसें सारठ तक, जहां तक की सड़क है, चलती है ।

(घ) उपरोक्त खंडों में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मोटर बस चलने से बहुत लोगों की बेकारी ।

२६४। श्री दुलारचन्द राम—क्या मंत्री, ट्रांसपोर्ट विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि आरा-सिन्हा, बहीआरा-चान्दी, इटाढ़ी-बक्सर रोड पर व्यक्तिगत मोटर बस चलाने की सरकार ने स्वीकृति दी है, यदि हां, तो किन शर्तों के साथ और किन-किन स्थानों पर इन्हें ठहराने का आदेश दिया गया है ;

(*b*) whether the trained salutaries are paid any fees for the upkeep of their profession after the training;

(*c*) whether payments were made by the Director, Veterinary Department, if not who made the payment;

(*d*) whether it is a fact that these salutaries have complained from time to time for non-payment;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the affirmative, what steps were taken against the non-payment;

(*f*) if the answer be in the negative, what were the dates of drawing the money;

(*g*) whether receipts for payments were obtained and are kept in file?

Shri DIP NARAIN SINGH: (*a*) The training started from June, 1948.

(*b*) The reply is in the affirmative.

(*c*) The payments are made by the Range Officers of the Department.

(*d*) Some complaints of the nature have been received.

(*e*) The claims are being investigated.

(*f*) The question does not arise.

(*g*) The receipts are maintained according to the rules.

SPEAKER: What is the funotion of the salutaries?

Shri DIP NARAIN SINGH: They get some preliminary training in veterinary diseases, and then they are maintained in villages.

SPEAKER: Do they get any fee or salary?

Shri DIP NARAIN SINGH: No, they do not get any fee. They get some maintenance allowance from Government.

Shri SRISH CHANDRA BANERJEE: What is the amount?

Shri DIP NARAIN SINGH: They get only 10 rupees a month.

जमीन पर बटाईदारों का अधिकार।

३५७। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि जब से सरकार ने बटाईदारों को जोत की जमीन पर अधिकार देने की घोषणा की है तब से बेदखली की रफ्तार और भी तेज हो गयी है;

(ख) सरकार की ओर से वर्तमान अधिवेशन में इस संबंध में बिल लाने की जो घोषणा बार-बार की गयी है उसे लाने की आशा कब तक है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) कई जिलों से रिपोर्ट आई है कि बटाईदारों को उनकी जमीन से हटाया जा रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई खबर नही आई है कि जब से सरकार ने इस संबंध में घोषणा की है पहले से ज्यादा बटाईदार हटाये जा रहे हैं।

(ख) सरकार इस संबंध में जरूरी कार्रवाई कर रही है और खबर हाउस को मिल जाएगी जब सरकार इस पोजिशन में होगी कि इस हाउस में बिल पेश करे।

श्री बोकाई मंडल—बटाईदारों के हटा देने के कारण जितने लोग बेकार पड़ गये हैं उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बोकाई मंडल—जो लोग हटा दिये गये हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं रह गया है, इसलिये यह प्रश्न उठता है।

अध्यक्ष—बेकारी का प्रश्न यहां पर नहीं उठता है।

श्री त्रिवेणी कुमार—सरकार ने कहा है कि कुछ जिलों में बटाईदार बड़ी तेजी से हटाये जा रहे हैं; वे जिला कौन-कौन हैं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने तेजी की बात नहीं कही। पूर्णियां, सहरसा, भागलपुर और मूंगेर जिलों में बटाईदारों के हटाने की खबर आयी है।

श्री त्रिवेणी कुमार—सरकार ने बताया है कि वह अभी इस पोजिशन में नहीं है कि वह बताये कि इस संबंध में बिल कब पेश करेगी लेकिन प्रश्न यह था कि क्या इस अधिवेशन में वह कानून पेश करेगी या नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हमने जवाब दिया कि जब बिल पेश हो जाएगा तो आप को मालूम हो जाएगा।

श्री त्रिवेणी कुमार—मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान अधिवेशन में आएगा कि नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—यह निश्चित नहीं है, जब बिल तैयार होगा तो पेश होगा।

श्री जगन्नाथ सिंह—कानून बनाने के पूर्व क्या सरकार इस संबंध में कोई एक्जेक्यूटिव ऐक्शन लेना चाहती है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न कैसे उठता है?

श्री जगन्नाथ सिंह—सरकार ने कहा है कि उसके पास रिपोर्टें आई हैं कि बेदखली हो रही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में निरुपाय है या उसके पास कोई उपाय है ?

अध्यक्ष—कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। सरकार क्या कर सकेगी ?

श्री जगन्नाथ सिंह—मैं इस प्रश्न का उत्तर सरकार से चाहता हूँ, क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाय लेकिन यह तो प्रमाण की बात होगी।

श्री जगन्नाथ सिंह—क्या सरकार ने स्थानीय अधिकारियों से इस आशय का आदेश दिया है कि बटाईदार नहीं हटाये जायं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैंने कह दिया कि आदेश जारी किया गया है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—सरकार के पास यह रिपोर्ट गई है कि बेदखली हो रही है और सरकार अभी बिल भी नहीं लाने जा रही है, तो क्या सरकार समझती है कि मौजूदा कानून स्थिति पर काबू रखने के लिये काफी है ?

अध्यक्ष—यह राय की बात है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—एक्जेक्यूटिव ऐक्शन की बात कही गई है तो मैं पूछता हूँ कि मौजूदा कानून काफी है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अभी जो मौजूदा कानून है उसको एनफोर्स करने के लिए सरकार ने लोकल औफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है और यह भी कहा गया है कि लॉ ऐंड आर्डर मेनटेन होना चाहिये।

श्री रमेश झा—जिन जिलों का जिक्र सरकार ने किया है क्या वहां मास स्केल में बटाईदारों को बेदखल किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—क्या सरकार बताएगी कि इन तीन जिलों में बेदखली होने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार को मालूम नहीं है।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—क्या सरकार समझती है कि इसका एक कारण यह है कि पूर्णियां जिला में अभी जो सर्वे हो रहा है उसकी वजह से जमीन वाले लोग डरते हैं कि यदि बटाईदारों का नाम सर्वे में दर्ज हो गया तो उनको अकूपेन्सी राईट हो जाएगा और इसी वजह से उनको बेदखल कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—माननीय सदस्य का अनुमान सही हो सकता है।

श्रीमती सरस्वती चौधरी—क्या सरकार यह महसूस करती है कि सिर्फ इस तरह की घोषणा करके नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि शीघ्र कोई कानून बना कर लागू करे ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैंने उत्तर दिया कि यह घोषणा सरकार की ओर से नहीं हुई है, बल्कि अखबारों में इस तरह की खबर निकली है कि इस सम्बन्ध में सरकार कानून बनाने की बात सोच रही है। जब कानून बन जायेगा तो यह समस्या हल हो जायेगी।

श्री रघुनन्दन कुमार—क्या सरकार को यह खबर मिली है कि भागलपुर जिला के गोपालपुर थाने में बटाईदार झूठा क्लेम करके लॉ ऐंड आर्डर को कायम रखने में बाधा पहुँचा रहे हैं ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री दारोगा प्रसाद राय—जब लॉ ऐंड आर्डर की बात होती है तो क्या सरकार को यह पता है कि खास कर उत्तर भागलपुर में और बिहपुर के इलाके में बटाईदार बेदखल किए जा रहे हैं और इस तरह वहां अशांति का खतरा है ?

अध्यक्ष—खास स्थान का नाम नहीं लिया जा सकता है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—जब सरकार का विचार इतना परिपक्व नहीं था कि कानून लाया जाय तो इतने पहले इस तरह की घोषणा की क्या आवश्यकता थी ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—घोषणा नहीं हुई है। बल्कि बटाईदारों के सम्बन्ध में सरकार कानून बनाने को सोच रही है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—जब इस तरह की घोषणा से खलबली मची है तो इस घोषणा से क्या लाभ हुआ ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण चौधरी—राज्यपाल के भाषण में इस तरह की चर्चा हुई है तो उस चर्चा से सरकार को क्या फायदा हुआ ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता।

श्री रमेश झा—मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से एक प्रश्न का जवाब सदन में मिला था कि इसी सेशन में बटाईदारों के हक की रक्षा के लिए एक कानून लाया जायगा तो वह कानून क्यों नहीं लाया गया ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आप यह बतावें कि इस तरह का जवाब किस तारीख को किस प्रश्न के उत्तर में और किस भाषा में दिया गया था ?

श्री रमेश झा—क्या यह बात सही है कि सरकार की इस घोषणा से बेदखली जोरों से जारी है ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

IMPLEMENTATION OF THE KOSI PROJECT.

408. Shri RAM NARAIN CHOUDHARY : Will the Minister, in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) what steps have been taken in implementing the Kosi Project so far ;

(*b*) will the Minister be pleased to make a statement on this subject on the floor of the House to relieve the anxieties of the members in this connection ?

Shri RAMCHARITRA SINGH : (*a*) The problem of the Kosi has been engaging the attention of the authorities from a long time. A conference of officials and non-officials was called by the first Congress Ministry in 1937 to discuss the very difficult and pressing problem of floods in North Bihar. At this conference the main controversy centred round as to whether the policy of the Government should be 'construction of embankments, to protect people against ravages of flood, or 'removal of the same' with a view to allow spilling of the river and thereby give nature a chance for land formation.

The problem of the Kosi was also discussed in this conference in general and later it was referred to the Central Water and Power Commission, when the investigations were taken up by that Commission sometimes by the end of 1946. A survey party led by Chairman, C. W. and P. C., Chief Engineer (Irrigation), Bihar and other Engineers of Government of India and Government of Bihar successfully carried out reconnaissance of the area in January, 1946, after which a preliminary report was prepared for starting investigations at the proposed dam site in Nepal. According to the itinerary of survey and investigations as outlined in